

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप-3)

क्रमांक: एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अ./2009-10/ जयपुर दिनांक:

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा),
जैसलमेर

विषय:- ग्राम पंचायत नाचना, पंचायत समिति जैसलमेर, जिला जैसलमेर के लेखों एवं कार्यों के माह दिसम्बर, 2009 में किए गए विशेष जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई कराने बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार के आदेश एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अ./2009-10 दिनांक 18.12.2009 के द्वारा ग्राम पंचायत नाचना, पंचायत समिति जैसलमेर, जिला जैसलमेर द्वारा दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक नरेगा योजना अन्तर्गत किए गए एवं करवाये जा रहे कार्यों एवं लेखों तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु विशेष जांच दल श्री श्रीनिवास मीना, मुख्य तंत्राधिकारी, ई.जी.एस. के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस जांच दल ने दिनांक 23.12.2009 से 28.12.2009 तक ग्राम पंचायत के अभिलेख एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त जांच प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं पर आपके स्तर पर निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है:-

1. राशि की वसूली एवं कानूनी कार्रवाई-

क्र. सं.	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि रू.	प्रस्तावित कार्रवाई
1.	ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये 10 कार्यों में टेण्डर की शर्तों के अनुसार सामग्री यथा ग्रीट, पत्थर, ग्रेवल, पिट्टियां, ईट, बजरी आदि की दरें एफ.ओ.आर. कार्यस्थल हैं जबकि एम.टी. में मूल्यांकन परिवहन लीड जोड़कर करते हुए फर्म से बिल प्राप्त कर भुगतान किये गये हैं। यह अनियमित एवं गलत भुगतान वसूली योग्य है। 1. 20 डिग्री निर्माण (तुलछा राम) रू. 22,834.65 2. 20 डिग्री निर्माण (समधा) रू. 24,691.97 3. ग्रेवल सड़क अलीपुरा से पुजराजसिंहपुरा रू. 46,038.65 4. ग्रेवल सड़क 12 एस. के डी से कबीरपुरा रू. 2,05,680	8,99,134/-	प्रतिवेदन के अनुसार अधिक मूल्यांकन दर्शाकर राजकीय राशि का अनियमित एवं गलत भुगतान करने के लिए श्री महावीर सिंह, कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति, जैसलमेर, श्रीमती चांदकवर, सरपंच, ग्राम पंचायत नाचना, श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत नाचना उत्तरदायी हैं। इसके लिए निम्नांकित कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है- 1. इस राशि की इन तीनों कर्मचारियों/राजसेवकों से बराबर अनुपात में वसूली की जानी चाहिए। इसके लिए जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पंचायती राज अधिनियम की धारा 111(2) के अनुसार वसूली सुनिश्चित कराके दिनांक 31.3.2010 तक पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। 2. विशेष जांच रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों के विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे तथा जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद इन रिपोर्ट्स के गिर्णागक स्तर पर पहुंचने तक फॉलोअप करें।

472

<p>5. खालों की कच्ची शाखा कार्य रु. 4,52,852.95</p> <p>6. खाला पट्टी कवरिंग कार्य रु. 71,605</p> <p>7. फूलों की नाड़ी जीर्णोद्धार रु. 47,024.65</p> <p>8. 20 टांका निर्माण (श्री गोरखाराम) रु. 9432.48</p> <p>9. 20 टांका निर्माण (श्री मिश्री राम) रु. 9943.32</p> <p>10. टांका निर्माण (श्री भगवाना राम) रु. 9030.06</p>		<p>3. कनिष्ठ अभियंता एवं ग्राम सेवक के विरुद्ध इनके संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए आरोप पत्र जारी किया जावे। श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, नाचना को पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।</p>
<p>2. ग्राम पंचायत के चार कार्यों की जांच में - माप पुरतिका(MB) में दर्ज सामग्री (सीमेंट बैग, ईटें आदि) के मूल्यांकन राशि से अधिक सामग्री क्रय कर रु. 1,23,619/- का गलत भुगतान किया गया।</p> <p>1. 20 डिग्गी निर्माण (तुलछा राम) रु. 12,900.00</p> <p>2. 20 डिग्गी निर्माण (समधा) रु. 4,300.00</p> <p>3. फूलों की नाड़ी जीर्णोद्धार (i) रु. 1075.00 (ii) रु. 1,04,544.00</p> <p>4. टांका निर्माण (श्री भगवाना राम) रु. 800.00</p>	<p>1,23,619/-</p>	<p>प्रतिवेदन के अनुसार इस अनियमितता के लिए श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत नाचना, श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव उत्तरदायी हैं। राशि रु. 1,23,619/- सरपंच एवं ग्राम सेवक दोनों से बराबर अनुपात में वसूल की जावे।</p>
<p>3. ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये दो कार्यों में मौके पर सीमेंट, कंकरीट की माप एम. बी. में दर्ज माप के अनुसार नहीं पाई जाकर कम माप पाई गई। इस प्रकार राशि रु. 50,598/- का गलत एमबी भरकर भुगतान किया गया है।</p> <p>1. 20 डिग्गी निर्माण (तुलछा राम) (i) रु. 13,799.64 (ii) रु. 22,263.45</p> <p>2. 20 डिग्गी निर्माण (समधा) रु. 14,535.20</p>	<p>50,598/-</p>	<p>1. प्रतिवेदन के अनुसार इस अनियमितता के लिए श्री महावीर सिंह, कनिष्ठ अभियंता, श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत नाचना, श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव उत्तरदायी हैं। राशि रु. 50,598/- सरपंच एवं ग्राम सेवक एवं कनिष्ठ अभियंता तीनों से बराबर अनुपात में वसूल की जावे।</p> <p>2. इस अनियमितता के लिए इन तीनों के विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे।</p> <p>3. कनिष्ठ अभियंता एवं ग्राम सेवक के विरुद्ध इनके संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए आरोप पत्र जारी किये जायें। श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, नाचना को पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई को जावे।</p>
<p>4. गलत निर्माण कार्य एवं गलत स्थान धयन के कारण वसूली (बोरिंग रिपेयरिंग का कार्य सार्वजनिक स्थल पर</p>	<p>51,462/-</p>	<p>नियम विरुद्ध गलत स्थान पर कार्य करवाकर व्यय की गई राशि रु. 51,462/- की श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत नाचना एवं श्रीमती चांदकंवर,</p>

	<p>नहीं किया जाकर सामान्य श्रेणी के व्यक्ति (सरपंच अथवा रिश्तेदार) के घर के बाहर किया गया।</p> <p>1. फुलों की नाड़ी जीर्णोद्धार रु. 51,462</p>		<p>सरपंच ग्राम पंचायत नाचना से बराबर अनुपात में वसूली की जाये एवं गलत कार्य के गगन हेतु ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये।</p>										
5.	<p>दो कार्यों में माप पुस्तिका में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन संबंधी अन्य अनियमितताएँ पाई गईं—</p> <p>1. Excavation of Gravel at Quarry आइटम अन्तर्गत केवल 10 प्रतिशत लूज योइड्स की राशि ही माप पुस्तिका में काटी गई है, जबकि जिले की नरेगा बी.एस.आर. अनुसार 1/6 (=16.66%) शून्य काटकर आपूर्ति की जानी चाहिए थी।</p> <p>2. Spreading of Gravel आइटम</p> <p>3. मौके पर रोड़ की लम्बाई एम.बी. की तुलना में 200 फुट कम पाई गई।</p> <p>1. ग्रेवल सड़क अलीपुरा से पुजराजसिंहपुरा (i) रु 3282.60 (ii) रु 2133.69</p> <p>2. ग्रेवल सड़क 12 एस के डी से कबीरपुरा (i) रु 7389.00 (ii) रु 4802.95 (iii) रु. 23,172.00</p>	45,780/-	<p>राशि रु. 45,780/- के अनियमित भुगतान के लिए श्रीमती चांदकंवर सरपंच, ग्राम पंचायत, नाचना श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, नाचना तथा श्री महावीर सिंह, कनिष्ठ अभियंता उत्तरदायी हैं एवं इन तीनों से उक्त राशि बराबर अनुपात में वसूल की जावे।</p> <p>कनिष्ठ अभियंता एवं ग्राम सेवक के विरुद्ध इनके संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत बृहद् शारिस्त (Major penalty) के लिए आरोप पत्र जारी किये जायें। श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, नाचना को पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।</p>										
6.	<p>मृतक व्यक्तियों के नाम मस्टरोल में अंकित कर गलत भुगतान उठाना व गबन करना</p> <table border="1"> <tr> <td>MR No.</td> <td>राशि</td> </tr> <tr> <td>38181</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>81901</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>99107</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>61958</td> <td>1200</td> </tr> </table>	MR No.	राशि	38181	1300	81901	1200	99107	1000	61958	1200	4700/-	<p>1. श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत नाचना एवं श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत नाचना से बराबर अनुपात में वसूली की जाये।</p> <p>2. इन दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे।</p> <p>3. गलत मस्टर रोल भरकर भुगतान करने के लिए ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरुद्ध इनके सेवा नियमों के अन्तर्गत बृहद् शारिस्त (Major penalty) के लिए आरोप पत्र जारी किया जावे। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे। श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, नाचना को पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।</p>
MR No.	राशि												
38181	1300												
81901	1200												
99107	1000												
61958	1200												
7.	<p>सरकारी कर्मचारी के नाम मस्टरोल में अंकित कर फर्जी भुगतान उठाकर राशि का गबन</p> <table border="1"> <tr> <td>MR No.</td> <td>राशि</td> </tr> <tr> <td>166317</td> <td>1400</td> </tr> <tr> <td>38184</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>59582</td> <td>1398</td> </tr> <tr> <td>60524</td> <td>1698</td> </tr> </table>	MR No.	राशि	166317	1400	38184	1300	59582	1398	60524	1698	5496/-	<p>1. श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत नाचना एवं श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत नाचना से बराबर अनुपात में वसूली की जावे।</p> <p>2. इन दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे।</p> <p>3. गलत मस्टर रोल भरकर भुगतान करने के लिए ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरुद्ध इनके सेवा नियमों के अन्तर्गत बृहद् शारिस्त (Major penalty) के लिए आरोप पत्र जारी किया जावे। अनुशासनात्मक कार्रवाई की</p>
MR No.	राशि												
166317	1400												
38184	1300												
59582	1398												
60524	1698												

474

		जावे। श्रीमती चांदकवर, सरपंच, नाचना को पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।
कुल वसूली योग्य राशि	11,80,790/-	

नोट- कुल राशि रु. 11,80,790/- वसूल की जानी है।

2. निर्माण सामग्री के सभी बिलों की राशि 1,62,66,710/- (अक्षरे रुपये एक करोड़ बासठ लाख छियासठ हजार सात सौ दस मात्र) का भुगतान नकद में किया गया है एवं नरेगा रोकड़ बही में सामान्य रोकड़ बही से राशि अन्तरित कर कय की सामग्री राशि रुपये 7,48,000/- का नकद भुगतान किया गया है जबकि पंचायती राज नियम 1996 के नियम-211 के अनुसार धन केवल बैंकों के जरिए आहरित किया जायेगा। अन्य व्यक्तियों को रुपये 1000/- से अधिक राशि का प्रत्येक भुगतान Cheque के जरिए ही किया जायेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रम एफ 4(28)आर.डी. /नरेगा/09-10 दिनांक 11.11.2009 द्वारा सेल्फ के बैंक आहरित नहीं करने तथा रुपये 1000/- से अधिक की किसी भी राशि का भुगतान केवल अकाउन्ट पेई बैंक से ही करने निर्देश जारी किये गये हैं। अतः पंचायती राज नियम एवं परिपत्र दिनांक 11.11.2009 की पालना सुनिश्चित करें, इसके साथ ही नियमों की अवहेलना करने के लिए उत्तरदायी कार्मिकों/लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई की जावे।
3. अमानत राशि 3,74,862/- रोकड़ बही में दर्ज की गई है जबकि पंचायती राज नियमों में अमानत राशि प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। नियम विरुद्ध अमानत राशि लेकर रोकड़ बही में दर्ज करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर आवश्यक कार्रवाई की जावे।
4. जांच प्रतिवेदन के अनुसार तकनीकी स्वीकृतियां अस्पष्ट एवं अधूरी जारी की गई हैं। भविष्य में तकनीकी स्वीकृतियां पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में जारी करने हेतु अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता, नरेगा को आवश्यक निर्देश जारी करें।
5. ग्राम पंचायत द्वारा अपंजीकृत फर्मों से 163 लाख रुपये की सामग्री (पत्थर, बजरी, रोड़ी, आदि) का क्रय किया गया लेकिन इनके द्वारा नियमानुसार बिक्री कर की राशि जमा नहीं कराई गई। ग्राम पंचायत द्वारा 19.6.2007 से 30.11.2009 तक क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिलों का विवरण वाणिज्यिक कर विभाग को भिजवाकर वेट (VAT) की वसूली की कार्रवाई करवायी जावे।
6. प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure register) के संधारण करने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक एफ.4(40)आरडी/ नरेगा/ट्रे/स्टेट/09-10 दिनांक 23.10.2009 द्वारा जारी किये गये हैं। अतः जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्ति मय संचायी व्यय रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure register) का संधारण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4(42)/ग्रावि/नरेगा/मुप-गा/06-07 दिनांक 22.3.2007 के अनुसार नरेगा कार्यों का जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा मानदण्डों के अनुसार गहन निरीक्षण समय-समय पर किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के अभिलेख की जांच के दौरान पाया गया कि जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा ना तो कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया और ना ही रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर सहित पंचायत के किसी भी अभिलेख का निरीक्षण ही किया गया, जिसके कारण कार्यों के मौके एवं अभिलेख में अनियमितताएं किए जाने से संबंधित कार्मिकों को प्रोत्साहन मिला है और नरेगा कार्यों का इच्छित पूर्ण लाभ गरीबों को नहीं मिल पाया है। निर्धारित मानदण्डानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित कार्यों एवं अभिलेख का निरीक्षण नहीं करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई करावें तथा भविष्य में ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं अभिलेखों का समय-समय पर निरीक्षण को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।
8. उक्त अनियमितताओं के मद्देनजर जिला एवं पंचायत समिति के स्तर से अधिकारियों द्वारा कार्यों एवं अभिलेख के निरीक्षण को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में पूर्व दिशा-निर्देशों की निरन्तरता में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को पुनः दिनांक एफ.4 (29)

445

आरसी/नरेगा/पार्ट-1/निरीक्षण दिनांक 29.12.2009 से आदेश जारी किये हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए यह व्यवस्था की जावे कि जिला फलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा प्रतिमाह 10 तारीख तक पिछले माह में जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों के निरीक्षण अधिकारी वार विवरण प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अ.शा. पत्र के माध्यम से प्रेषित करें; इस कार्य की सतत मोनिटरिंग की जानी आवश्यक है।

9. उक्त बिन्दुओं के नदेनजर योजना के क्रियान्वयन में सुधार किया जाना आवश्यक है; आपके स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में उक्त अनियमितताओं एवं प्रतिवेदन में उल्लेखित अन्य अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रतिवेदन की बिन्दुवार अनुपालना/क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रेषित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई कराकर एक माह की अवधि में बिन्दुवार प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्तानुसार

13/1/10
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव
(ई.जी.एस.)

क्रमांक: एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अं./2009-10/39/-94

दिनांक: 20.1.10

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा जिला परिषद
जैलमेर को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

19.1.10

निदेशक

सामाजिक अंकेक्षण